

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ**

पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या /14/2019 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक 08.04.2019

उनवान

1. बगदीराम पिता कुशल जाति काछी निवासी काछीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
प्रार्थीगण
बनाम.

1. हिरा पिता देवा जाति काछी निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. शम्भु पिता नन्दराम जाति काछी निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. नन्दा पिता दल्लीचन्द जाति काछी निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. प्यारचन्द पिता लालू जाति काछी निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. रामचन्द्र पिता चमना जाति काछी निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट


निर्णय दिनांक 14.05.2019

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा काछियाखेडी पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन की खाता संख्या 101 में स्थित आराजी संख्या 100, 208, 268, 708, 783, 792, कुल कित्ता 6 स्थित है उक्त अराजीयात के चारो तरफ अप्रार्थीगण की अराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बिच में सीमा के निशानात नही है जिससे आय-दिन सीमा बाबत विवाद रहता है अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि सीमा कें पुख्ता निशानात कराले लेकिन हर बार टालमबाजी करते है इस लिए आराजीयात जैर-बहस के चारो तरफ चारो दिशाओं कि पत्थरगढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई प्रार्थना पत्र पर बहस एक तरफा सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार कपासन को संबंधित प्रकरण में 500/- रुपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा काछियाखेडी पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन की खाता संख्या 101 में स्थित आराजी संख्या 100, 208, 268, 708, 783, 792, कुल कित्ता 6 की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर

पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे साथ हि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों। इस बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।


(अभिषेक गौयल)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

